रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 1985/पौष 21, 1906
No. 12] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 1985/PAUSA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1985

स. आर-11012/2/84-आर.डब्ल्यू.—पिछले कुछ समय से श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) में विचार किया जा रहा है कि देश में विकेन्द्रीकृत चमड़ा क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के चमड़ा और फुटवीयर उद्योग में नियुक्त कामगारों के कार्य की दशाओं में सुधार लाने के लिए कौन से संवैधानिक और प्रशासनिक उपाय किए जाने चाहिएं। काफी सोच-विचार के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय किया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों, उक्त उद्योग में लगे कामगारों के प्रतिनिधियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों का एक त्रिपक्षिय अध्ययन दल गठित किया जाए। त्रिपक्षीय अध्ययन दल का गठन और विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

2. गठन

केन्द्रीय सरकार

1. अपर सचिव
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम विभाग),
नई दिल्ली। — अध्यक्ष

2. महानिदेशक (श्रम और कल्याण)
और संयुक्त सचिव,
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,
(श्रम विभाग)
नई दिल्ली। — सदस्य सचिव

3. औद्योगिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि — सदस्य

4. गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि — सदस्य

5. योजना आयोग का प्रतिनिधि — सदस्य

6. अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग या उसका प्रतिनिधि — सदस्य

7. निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास या उसका प्रतिनिधि — सदस्य

8. तमिलनाडु राज्य सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

9. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

10. बिहार राज्य सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

11. गुजरात राज्य सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य

केन्द्रीय नियोक्ताओं के संगठन :

(12) से (16)

केन्द्रीय नियोक्ताओं के संगठनों द्वारा नामित किए जाने वाले नियोक्ताओं के प्रतिनिधि--

(चमड़ा उद्योग के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के उचित प्रतिनिधित्व सहित) 5 सदस्य

केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन :

17. भारतीय मजदूर संघ सदस्य

18. सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (सीटू) सदस्य

19. राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य

20. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सदस्य

21. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सदस्य

3. त्रिपक्षीय अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

(क) विकेन्द्रीयकृत चमड़ा क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के चमड़ा और फुटवीयर उद्योग में नियुक्त कामगारों के कार्य और रहन-सहन की दशाओं का गहन अध्ययन करना ; और

(ख) चमड़ा और फुटवीयर उद्योग पर उपकर के उपग्रहण द्वारा अलग से कल्याण कोश को, गठित करने की आवश्यकता सहित जैसे कि पहले अभ्रक, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर डोलोमाइट और बीड़ी आदि के लिए गठित किया जा चुका है, उपयुक्त प्रशासनिक और संवैधानिक परिवर्तन लाने की सिफारिश करना ।

4. दल में तीन अतिरिक्त सदस्य/विशेष आमंत्रित व्यक्ति सहयोजित किए जा सकते हैं जो विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आने वाले कामगारों की समस्याओं से भिन्न हो । दल उप समितियां/ग्रुप, यदि आवश्यक हो, नियुक्त कर सकेगा ।

5. यह ग्रुप अपनी रिपोर्ट दो चरणों में प्रस्तुत करेगा, पहला चरण विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के बारे में है और दूसरा चरण संगठित क्षेत्र के बारे में है । दोनों चरणों की रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिएं ।

[सं. आर.-11012/2/84-आर.' डब्ल्यू.]

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव/

महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th January, 1985

File No. R-11012|2|84-RW.—For sometime past the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) has been considering as to what legislative and administrative measures should be taken for improving the working and living conditions of the workers employed in the decentralised leather sector as well as in the leather and footwear industry in the organised sector in the country. After due consideration, it has been decided by the Government to constitute a Tripartite Study group consisting of the officials of the Central & State Governments, Workers' representatives, the Employer's representatives in the aforesaid Industry. The composition of the Tripartite Study group and the terms of reference will be as under.

2. COMPOSITION :

Central Government

(1) Additional Secretary, Ministry of Labour & Rehabilitation (Dept. of Labour), New Delhi.
Chairman.

(2) DG(LW) and Joint Secretary, Ministry of Labour & Rehabilitation, (Deptt. of Labour), New Delhi.
Member-Secretary

(3) Representative of the Ministry of Industrial Development
Member.

(4) Representative of the Ministry of Home Affairs
Member.

(5) Representative of the Planning Commission
Member.

(6) Chairman, Khadi and Village Industries Commission or his representative
Member.

(7) Director, Central Leather Research Institute, Madras, or his representative —
Member.

(8) Representative of the Govt. of Tamil Nadu.
Member

(9) Representative of the Govt. of Uttar Pradesh.
Member

(10) Representative of the Govt. of Bihar.
Member

(11) Representative of the Govt. of Gujarat.
Member

Central Employer's Organisation

(12) to (16)

Representatives of employers to be nominated by the Central Employers' Organisation (with proper representation) to the organised as well as unorganised sector of leather industry.

5 Members

Central Trade Union Organisations :

17.	Bharatiya Mazdoor Sangh	Member
18.	Centre of Indian Trade Unions	Member
19.	National Labour Organisation	Member
20.	All India Trade Union Congress	Member
21.	Indian National Trade Union Congress.	Member

3. The terms of reference of the Tripartite Study group will be as under :—

(a) To have an indepth study of the working and living conditions of workers in the decentralised leather Sector as well as in the leather and footwear industry in the organised sector, and

(b) Recommend appropriate administrative and legislative changes together with the need for constitution of a separate Welfare Fund by levy of cess on the leather and footwear industry as has already been constituted for mica, iron ore, maganese ore, chrome ore, limeston, dolomite and beedi etc.

4. The group may coopt upto three additional members| special invitees who have familiarity with the problems of workers covered by the terms of reference. The group will have the power to appoint sub-committes|groups, if necessary.

5. The group will submit its report in two phases, the first phase being about, the decentralised sector and the second phase being about the organised sector. Reports of both phases should be submitted within a period of one year.

[F. No. R-11012|2|84-RW]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.|
Director General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985